



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237506
CG-DL-E-23072022-237506

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3114]
No. 3114]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

का.आ. 3274(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1080(अ), दिनांकित 28 मार्च, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम (1),(2) और (3) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

67	कंगायामपलयम-मेट्टपलायम खंड (तमिलनाडू राज्य में)	किमी 323.850 से किमी 380.00
----	--	-----------------------------

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1018 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. एनएच-14013/10/2022-पी एंड एम]
राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2022

S.O. 3274(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1018(E), dated the 28th March, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

67	Kangayampalayam - Mettupalayam Section) (In the state of Tamil Nadu)	Km 323.850 to Km 380.00
----	--	-------------------------

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1018(E), dated the 28th March, 2017.

[F. No. NH-14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

का.आ. 3275(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (नई रारा सं. 544) किमी 141/0 से आरंभ होने वाला और किमी 171.200 पर पुनः मिलने वाला कोयंबटूर बाइपास, सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85), [किमी 5.000 से 118.795 किमी तक (मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड), सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापट्टिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744) [किमी 163.000 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम – राजापलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83) [किमी 0.000 से किमी 35.822 (कमलापुरम – ओडुनचतरम खंड) और किमी 29.000 से किमी 74.380 (ओडुनचतरम – मदाथुकुलम खंड) और किमी 74.380 से किमी 116.950 (मदाथुकुलम – पोल्लाची खंड) और किमी 23.230 से किमी 30.900 (ओडुनचतरम बाइपास) और किमी 123.550 से किमी 150.400 (पोल्लाची – कोयंबटूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 179ए, सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी	तमिलनाडु राज्य सरकार”

174.000 (त्रिची – करईकुडी – देवाकुट्टई - रास्ता – करईकुडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), नई रारा सं. 136, सं. 230 (नई रारा सं. 85), सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), सं. 381, नई रारा सं. 381ए, नई रारा सं. 381बी, नई रारा सं. 383, नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।□
--

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन सं. का.आ. 3163(अ), दिनांकित 11 जुलाई, 2022 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/10/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

S.O. 3275(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“22	So much of National Highway No. 47 (new NH No. 544) (Coimbatore bypass commencing from Km 141/0 and rejoining at Km 171.200), No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to K.m. 118.795 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section), No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to K.m. 218.200] (Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur section) No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744) [excluding from Km 163.000 to K.m. 231.600 (Thirumangalam-Rajapalayam Section)], No. 209 (New NH No. 83) [excluding from Km. 0.000 to Km 35.822 (Kamalapuram - Oddanchatram section) and from Km. 29.000 to K.m. 74.380 (Oddanchatram -Madathukulam section) and from Km 74.380 to K.m. 116.950 (Madathukulam – Pollachi section) and from K.m. 23.230 to K.m. 30.900 (Oddanchatram Bypass) and from Km 123.550 to Km 150.400 (PollachiCoimbatore Section)], New NH No. 179A, No. 210 (New NH No. 336 and 536) [excluding from k.m. 10.000 to km. 174.000 (Trichy- Karaikudi- Devakottai- Rastha- Karaikudi- Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), New NH No. 136, No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), No. 381, new NH No. 381A, new NH No. 381B, New NH No. 383 , new NH No. 532 new as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu”

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3163 (E), dated the 11th July, 2022.

[F. No. NH- 14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director